

1296

1263



# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 91b72677617faf2717bb

Receipt Date : 25-Feb-2021 12:07:54 pm

Receipt Amount : 37280/-

Amount In Words : Thirty Seven Thousands Two Hundred And Eighty Rupees Only

Token Number : 20210000025516

Office Name : SRO - Palamu

Document Type : Sale Deed

Payee Name : ABHAY KUMAR SINGH ( Vendeo )

GRN Number : 2104630102



- For Office Use -

विशेष अधिनियम 2017 का अंतर्गत  
चक्रवर्ती अधिनियम 1998 की धारा 41  
अधीन यह अधिनियम अधिनियम 1899 में  
अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत  
दस्तावेजों के अन्तर्गत

समस्त देवा

25/2/2021  
[Signature]

[Signature]  
25.2.2021

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः विन्दु का अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग आमतौर पर मुद्राक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दायरे में आया नहीं है।

₹ 93200

37280



किस्मत मेहता  
— ज रिपिड ला० नं० ११  
मेदिनीनगर पलामु

146  
A

LIBRARY NO. 2104629926 27960  
27969



श्रीमती कि. सु. ओ. पट्ट  
211011 देवी  
25.2.21

### विक्रय-पत्र

1 लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती कमला देवी पति का नाम श्री जनार्दन सिंह कायम जाति राजपूत निवास स्थान ग्राम एवं पोस्ट अघार कर्मा, थाना सूर्यपुरा, जिला रोहतास, बिहार, वर्तमान निवास स्थान ग्राम बारालोटा, पोस्ट जी० एल० ए० कॉलेज बारालोटा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामु, झारखण्ड, पेशा गृहिणी नागरिकता भारतीय।

PAN - AY0PDP4153H

शपथ पत्र सं० - 630

दिनांक - 25.2.21

2 लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री अभय कुमार सिंह पिता का नाम श्री रविन्द्र नारायण सिंह जाति राजपूत, निवास स्थान वार्ड नं० 7, धरहरा, थाना धरहरा, जिला मुंगेर, बिहार, पेशा नौकरी, नागरिकता भारतीय।

PAN - EUXPS9219G

शपथ पत्र सं० - 631

दिनांक - 25.2.21

अभय कुमार सिंह  
पिता - श्री जनार्दन सिंह  
जिला - मुंगेर  
पेशा - नौकरी  
जिला - रोहतास 25.2.21

3. लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य - (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य - मो० 9,32,000/- (नौ लाख बत्तीस हजार) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य - मो० 9,32,000/- (नौ लाख बत्तीस हजार) रुपये मात्र।

(5) सम्पत्ति का विवरण - नक्काजी 04 डी० (चार डिसमील) जमीन अन्तर्गत मौजा बारालोटा, अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एच जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकीयत लेख्यकारी को खरीदगी रैयती जमीन हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है -

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है -

मौजा	थाना न०	तीजी न०	खण्ड न०	वाड़ न०
बारालोटा	198	51	1 स्टेट झारखण्ड	4

नगर निगम हो० न०- 08A0000086000M10

खाता न०	प्लॉट न०	बिक्री रकम डी० में
101 (एक सौ एक)	146 (एक सौ छयालीस)	04 डी० (चार डिसमील)

चौहदी -

उत्तर - वर्तमान क्रंता मीना सिंह  
दक्षिण - प्लॉट न० 147  
पूरब - पूर्व से 14 फीट चौड़ा रोड  
पश्चिम - बसंत कुमार

वार्षिक लगान अनुमानित - मो० 4/- रुपये अलावे सेस।

नाम मालिक - झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी ने स्वयं से दिनांक 14.11.2005 ईस्वी को कय कर प्राप्त किये हैं। जिसका कंवाला न० 10773 है, जो जिला अवर निबन्धन कार्यालय

11.11.2005  
11.11.2005

मीना सिंह  
बसंत कुमार  
मीना सिंह  
11.11.2005

मेदिनीनगर में निबधित हुआ है। नामांतरण होकर डिमाण्ड कम्प्युटरीकृत भाग वर्तमान 30 पृष्ठ सं० 159 पर चलता है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदेन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रूपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतीत नहीं हुआ। एतएव इस संबध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार-विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पूरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भांति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे क्रेता स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारी ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारी ने लेख्यकारी को भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह कंवाला (विक्रय पत्र) आज से पूरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पत्ति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल

म. र. इ. ए.  
20.11.2024

M. R. I. A.  
20.11.2024

कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यकारी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होत वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यकारी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यकारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपयोग कर के लाभ उठावे। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवार सहित निवास करें, बाहरदेवारी के अन्दर लावे या किराये पर लगावे अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारीयाँ अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबन्ध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबन्ध में लेख्यकारी को चाहे कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्टे में इस सम्पत्ति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा ले तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

लेख्यकारी ने लेख्यकारी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, मूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के समत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

Handwritten signature and date: 25.2.21

अमय कुमार सिंह  
25.2.21



स्तावेज लिपिक ला०न० 11  
मेदिनीनगर पलामु

किस्मत मेहता  
25.2.21



मैं किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस  
ला० न० 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस  
दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बायें हाथ  
के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता

किस्मत मेहता  
25.2.21

किस्मत मेहता (दस्तावेज नवीस)

अनुज्ञापि संख्या - 111/03

मेदिनीनगर